

फर्द अहकाम

यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू

सीताराम बनाम गोविन्दी

दमा संख्या / वर्ष : ३३३ / 2023

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
२६/६/२५		<p>पत्रावली पेश हुई वहील प्राची/उपण अघापीगिण को सम्मन पारिउडाल लमेप एन गह ले अधिक का समुप हो चुका है। सम्मन अफन वानिल बोटकर प्राप्त नही। कः वानिल सम्मन नही जमी है।</p> <p style="text-align: center;">सम्मन तामिल</p> <p>के उपरन्त अघापीगिण हाजीर नही।</p> <p>कः इसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">कः वहील प्राची की कुमने व प्रा. पत्र का अवलोकन करने के उपरान्त एन पाते है कि प्राची व अघापीगिण सध्यातेदार है एवं सध्यातेदार विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है।</p> <p style="text-align: center;">कः वाद की बहुलता को रोकने व वाद की विषय-वातु को बनाए रखने के लिए प्रा. पत्र के चरण ल. ७ में उपलब्धित भूमि पर अनुपपत्तों की तर्फे सहायता नही दी यथास्थिति बनाए रखने हेतु जाबद दिया जाता है। पत्रावली जेतल शुमार होकर फर्द नम्बर ३३३</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 चाकसू (जमशु)